चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए० / 3622
दिनांक : 19.05.2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव / निदेशक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः— कोविड—19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा—निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—1107 / सत्तर—3—2021—08(20) / 2020 दिनांक 18 मई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि:—

01. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी कक्षायें / शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन संचालित किये जायेगें। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर में छात्र / छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।
02. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट ई—कन्टेण्ट अपलोड किये गये है। अतः प्रदेश के छात्रों को इसका सर्वाधिक उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।
03. परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति / प्राधानाचार्यो द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
04. शिक्षकों / छात्रों के सक्रमित होने अथवा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सीय कठिनाई के समय उक्त छात्र—शिक्षक को पठन—पाठन ऑनलाइन जारी रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में कुलपति, विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य कोविड—19 गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।
05. विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में कार्यरत समूह—"ख", "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगें।

शासन के उपरोक्त निर्देश एवं मा० कुलपति जी के आदेशानुसार पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कक्षायें / शिक्षण कार्य दिनांक 20.05.2021 से संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किये जायेगें। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान परिसर में छात्र / छात्राओं की उपस्थिति नही होगी व विश्वविद्यालय परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में शिक्षकों को विभागाध्यक्ष / प्राचार्यो के निर्देशानुसार राजकीय हित में बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में (समूह—"ख", "ग" एवं "घ" के अधिकतम, 50 प्रतिशत तक कार्मियों की उपरिथति सुनिश्चित कराने हेतु रोस्टर तैयार करें) इस व्यवस्था में रोस्टर के अनुसार किसी एक दिन कुलकर्मियों की संख्या के अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मी ही कार्यालय में उपस्थित होगें। सम्बन्धित कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थिति हो अनावश्यक कर्मचारियों को न बुलाया जाय, ऐसे कर्मी अलटरनेट दिवस पर कार्यालय आयें ताकि विभागीय कार्यो में व्यवधान उत्पन्न न हो। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय। समूह—"ख", "ग" एवं "घ" के कर्मी रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहें कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकता है।

अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :—

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति—कुलपति को प्रति—कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
03. छात्र—कल्याण अधिष्ठाता / चीफ वार्डन / चीफ प्रॉक्टर / सुरक्षाधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. वित्त अधिकारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. विश्वविद्यालय अभियन्ता / उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव / कार्यालय अधीक्षक / सहा०कार्या०अधी / प्रभारी
07. प्रेस प्रवक्ता, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. प्रभारी वेबसाइट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव